Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
UGC Approved Journal No. 63726
Impact Factor: 4.081
Volume-12, Issue-3, December-2018 www.researchguru.net

बुन्देलखण्ड में नगरीय स्थानीय निकायों का विकास (उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में)

ब्रजेन्द्र कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, डॉ.हरीसिंहगौरविश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.), ई.मेल
brijendramed14@gmail.com मो. 9005564696

सारांश–
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के भूमि अधिकार क्षेत्र में जैसे–जैसे प्रसार होता गया वैसे ही उसकी नीतियों में परिवर्तन होते गये। साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया में ही विभिन्न भू–भागों पर नियंत्रण हतु एक राजनैतिक तथा प्रशासनिक मशीनरी को विकसित किया गया, नियंत्रण की यह प्रक्रिया अलग–अलग स्तर पर की गयी थी। इसी क्रम में स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों का विकास किया गया था। बुन्देलखण्ड के कुछ भाग में देशी रियासतों का तथा कुछ भाग पर ब्रिटिश सरकार का शासन था। बुन्देलखण्ड को जब ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया तो वहाँ, नये शहरों का विकास हुआ। इन शहरों के स्थानीय विकास और नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों का विकास किया गया। आधुनिक रूप में विकसित इन निकायों को संसाधन और कानूनी वैधता प्रदान की गयी।

कुंजी शब्द–
स्थानीय निकाय, उत्तर–पश्चिम प्रान्त, संयुक्त प्रान्त, बुन्देलखण्ड, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम।

1947 में स्वतंत्रता के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। एक लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन विकेन्द्रीकरण की प्रकिया द्वारा होता है, जिसमें स्थानीय निकाय शक्ति के बंटवारे की सबसे निचले स्तर की संस्था है, जहाँ पर सामुदायिक सहभागिता और उत्तरदायित्व के द्वारा विकास की प्रकिया को आगे बढ़ाया जाता है। अतः भारतीय इतिहास में स्थानीय निकायों का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है।

अधुनिक रूप में स्थानीय निकायों का विकास ब्रिटिशकाल में 18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंम्भ होता है। ब्रिटिशकालीन भारत में स्थानीय निकायों के विकास की जो प्रकिया अपनायी गयी उसके द्वारा नगरीय निकायों को तीन भागों में बांटा गया है – 1. नगर निगम 2. नगरपालिका 3. नगर पंचायत।

1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से भारत में प्रभावशाली केन्द्रीय सरकार के कमजोर पड़ने से मुगल साम्राज्य के खण्डहरों पर कई स्वाधीन रियासतों का उदय होने लगा। मराठों, राजपूतों रूहेलो, जाटों, बुन्देलों और मुगल सम्राटों की ओर से नाममात्र के शासन चलाने वाले महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने अपने लिए क्षेत्र हथियाने शुरू कर दिए।[1] यूरोप से भारत में आने वाली व्यापरिक कंपरियों में से ईस्ट इण्डिया कंपनी ने अपने व्यापारिक यूरोपीय प्रतिद्वन्दियों को समाप्त कर अपने व्यापारिक उद्देश्यों को राजनीतिक आवरण में ढकना शुरू कर दिया था। 1757 में प्लासी के युद्ध की विजय से कंपनी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को खुले रूप में आकार देना शुरू कर दिया। अपनी इन गतिविधियों को कंपनी ने व्यापारिक गतिविधियों को सुदृढ़ तथा भूमि पर अधिकार जमा कर शुरू किया। प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर

की लड़ाई से उत्पन्न हुई 1765 में इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गयी। कम्पनी के इलाहाबाद की संधि से जो दीवानी का क्षेत्र मिला था उसमें 1775 में बनारस भी मिला लिया गया। 1801 से 1803 इं. तक उत्तर पश्चिम कहलवाने वाले इलाके अवध के नवाब को समर्पित कर दिए ओर इन्हें भी दीवानी में मिला लिया गया। ये इलाके थे :– इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, आजमगढ़ का कुछ हिस्सा, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूँ और शाहजहाँपुर। उत्तर–पश्चिम में अंग्रजों ने मराठों से इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली और कुछ स्थान जीते। इस प्रकार बंगाल प्रेजीडेंसी का विस्तार दिल्ली से आगे तक हुआ। 1805 में कंपनी द्वारा तटवर्ती उड़ीसा के इलाके जैसे बालासोर, कटक और पुरी भी मराठों से जीत लिए गए। अंत में 1824 ई. में बर्मा की पहली लड़ाई में असम, अराकान और तेनासेरिम भी मिला लिए गए। सन् 1833 के एक्ट के अनुसार आगरा प्रान्त (नार्थ–वेस्ट प्रोविंस के नाम से) बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन किया गया। सन् 1856 में अवध अंग्रेजी राज्य के सम्मिलित कर एक चीफ कमिश्नर के आधीन किया गया। सन् 1877 के अवध और आगरा प्रान्त मिलाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रख गऐ। सन् 1902 में इस प्रान्त का आधुनिक नाम संयुक्त–प्रान्त पड़ा और सन् 1919 के एक्ट के अनुसार यह गवर्नर के आधीन हुआ।[2]

वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के नबाव की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी नबाव के साथ सन्धि करके बनारस और कुछ आसपास के जिलों को 1775 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 1801 में लॉर्ड वैलेजली के दवाब पर अवध के नबाव ने इलाहाबाद और कुछ दूसरे जिले अंग्रेजों को सौप दिए। आगरा और गंगा–यमुना के आस–पास के भाग 1803 के मराठा युद्ध में लॉर्ड लेक ने कब्जे में कर लिए। सौंपे हुए जिले भी अवध के नवाब से कंपनी को प्राप्त हुए। 1795 में जब ये जिले कंपनी को प्राप्त हुए तो अनी वैलेजली ने उन जिलों के प्रशासन और बंदोबस्त के लिए एक आयोग की नियुक्ति की। तीन असैनिक अधिकारियों का एक बोर्ड बना और गवर्नर जनरल के भाई हैनरी वैलेजली इस नये इलोक के लफ्टीनेन्ट गवर्नर तथा बोर्ड के अध्यक्ष नामजद हुए।[3] सौंपे हुए जिले जो नव प्राप्त क्षेत्र था मैं 24 मई, 1803 को बंगाल के कानून लागू कर दिए गए और इलाके को सात जिलों में बांट दिया गया। जज और मजिस्ट्रेट दोनों का कार्य करने वाला एक असैनिक अधिकारी हर जिले में नियुक्त किया गया। एक दूसरा असैनिक अधिकारी कलेक्टर का काम करता रहा। 1803 में लेक ने मराठों को लसवाड़ी के युद्ध में हराकर यमुना और गंगा के बीच का इलाका मिला लिया और इसे अवध नवाब से प्राप्त सौंपे हुए जिलो से अलग 'विजित प्रान्त' कहा गया। 1803 में बुन्देखलण्ड और कटक भी मिला लिए गए। 'विजित प्रान्त' पहले लार्ड लेक के प्रशासन में रखे गए पर 1805 में वे न्याय और राजस्व अधिकारियों के प्रशासन में पांच जिलों को रखा गया और सौपें हुए जिलों की तरह कलकत्ता में उच्च अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन कर दिए गए।[4]

ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने सामाज्य प्रबंध की सुविधा के लिए उसे 17 छोटे–बड़े प्रान्तों में विभक्त किया था। बड़े प्रान्त 11 हैं – बम्बई, मद्रास, बंगाल, बर्मा, बिहार, उड़ीसा, आसाम, यू. पी., सी. पी. और बरार, पंजाब, सिन्ध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त। छोटे प्रान्त 5 थे– जिनमें अंग्रजी बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और अंदमान निकोबार, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सन् 1932 से, उड़ीसा और सिन्ध 1936 से तथा अन्य पत्येक बड़ा प्रान्त सन् 1919 क एक्ट के अनुसार गवर्नर के

आधीन है। छोटे प्रान्त चीफ कमिश्नर के आधीन हैं सिन्ध और उड़ीसा प्रान्तों की रचना सन् 1935 के एक्ट के द्वारा ही हुई है।[5] यूरोपीय कम्पनियों द्वारा बंगाल, मद्रास तथा बम्बई में जो फैक्टरियां स्थापित की गई इन फैक्टरियों के स्थानों के लिए प्रेसीडेंसी हाउस शब्द का प्रयोग किया गया। इन प्रेसीडेंसी नगरों में से 1869 ई. में बम्बई में कानून निर्माण के सहारे 'सेस' (उपकर यानी भूमि राजस्व पर थोड़ा सैकड़ेवारी कर) की बात एक निश्चित आधार पर रख दी गई। इस कानून ने सेसों को कानूनी रूप देकर सार्वनिक निर्माण पर व्यय की व्यवस्था की तथा न केवल समूचे जिलों के लिए बल्कि इसके सब डिवोजनों के लिए भी रकम के शासन के लिए विभिन्न समितियाँ नियुक्त कर दीं।[6] लार्ड मेयो क द्वारा जिस प्रकार से वित्त के विकेन्द्रोकरण की प्रकिया आरम्भ कर दो गई थी उसे बाद में लार्ड रिपन के वित्त के विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन की नीति को उत्तर पश्चिमी प्रान्त तथा अवध में बहुत सावधानीपूर्वक अपनाया गया और विकसित किया गया। इसके द्वारा उत्तर पश्चिम प्रान्त तथा अवध में म्यूनिसिपैलिटियों तथा जिला समितियों की स्थापना की गई और इन संस्थाओं का व्यावहारिक रूप देने का प्रयास किया गया।[7]''

लार्ड रिपन के 18 मई 1882 के स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव को सर्वप्रथम मध्य प्रान्त में आरम्भ किया गया उसके पश्चात् रिपन द्वारा उत्तर–पश्चिमी प्रान्त एवं अवध में लागू किया गया। उस समय उत्तर–पश्चिम प्रान्त का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर अल्फ्रेड लायल था। लॉयल ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 16 सदस्यों की एक समिति गठित की जिसमें चार गैर सरकारी सदस्य शामिल थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1882 को पेश की जिसे 5 सितम्बर 1882 को एक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव को क्रियात्मक रूप देने के लिए सभी नगर पालिकाओं में चुनाव प्रणाली लागू की गई केवल नैनीताल एवं फतेहपुर सीकरी को छोड़कर लॉयल ने स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर, 1882 को एक विधेयक पारित किया। इसके पश्चात् 19 मई 1882 को एक अन्य बिल पारित करके स्थानीय कोष को पूर्णतः स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया गया।[8]

स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिशकाल में भारत दो भागों में बंटा हुआ था एक जिसमें अंग्रेजी राज था और दूसरा देशो राजाओं द्वारा शासित रियासतें। 1921 में ब्रिटिश सरकार ने नरेन्द्र मण्डल स्थापित कर भारत को दो भागों एक अंग्रेजी भारत तथा दूसरा रियासती भारत में विभाजित कर दिया था। ब्रिटिश भारत की गतिविधियाँ देशी रियासतों में प्रवेश करने लगीं। इन गतिविधियों मं ब्रिटिश प्रशासन राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार तथा आर्थिक गतिविधियाँ अधिक महत्वपूर्ण थीं। बटलर कमेटी की जांच के समय 1928 में 562 देशी राज्यों में से केवल 30 राज्यों में व्यवस्थापक सभाएं थीं और 40 में हाई कोर्ट थे और 34 में न्याय विभाग को शासन से पृथक कर रखा था। केवल 54 में पेंशन देने का नियम प्रचलित था 46 में नौकरियों की दर्जाबन्दी थी और 56 में राजा को निजी व्यय के लिए मिलने वाली रकम निश्चित की हुई थी। इस प्रकार 563 राज्यों में से 500 में उन सुधारों का भी होना नहीं पाया गया जिनका बटलर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है।[9]

बुन्देलखण्ड जो कि संयुक्त रूप में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का एक भू–भाग है। उक्त क्षेत्र में से उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को अध्ययन का विषय बनाया गया है। बुन्देलखण्ड में भी दानों तरह का शासन ब्रिटिश राज और देशी रियासतों दोनों का शासन था। बुन्देलखण्ड में दो तहर की रियासतों का प्रशासन रहा है प्रथम बुन्देला रियासतें तथा दूसरी गैर बुन्देला शासित रियासते। इन रियासतों के साथ ही

बुन्देलखण्ड का कुछ भाग अंग्रेजों ने मराठों से हस्तगत कर लिया था। मराठा पेशवा बाजीराव ने 31 दिसम्बर, 1802 को अपने अधिकार वाला मराठी भू भाग कम्पनी सरकार को दे दिया। कर्नल पॉवेल और राजनीतिक प्रतिनिधि जॉन बैली मराठी क्षेत्र पर कब्जा लेने के लिए बुन्देलखण्ड आये। मराठों को बुन्देलखण्ड के गैर मराठी राजा शत्रु मानते थे। अतः मराठों के पुराने शत्रु बुन्देलखण्ड के स्थानीय राजा आर मराठों से कब्जेदारी लेने वाले नये शत्रु अंग्रेज दानों परस्पर मिल गये तथा दोनों गैर क्षेत्रीय मराठों को बुन्देलखण्ड से बेदखल करने के लिये परस्पर संधियों, सनदों एवं इकरारनामों के द्वारा मित्र हो गये।[10] कनल पावेल ने बुन्देलखण्ड के भेदिया हिम्मत बहादुर गुसांई को एक राज्य तथा 20 लाख रूपया नकद देकर अपने पक्ष में कर लिया। कर्नल पावेल तथा हिम्मत बहादुर गुसांई ने बाँदा के पेशवाई नवाब रामशेर बहादुर को 1804 में पराजित कर बाँदा को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। सन् 1818 में मेजर मार्सल ने विनायक राव से सागर–नर्मदा घाटी क्षेत्र ले लिया था। 1840 में जालौन एवं गुरसराय तथा 1853 में झांसी और कर्बी–तरौहा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिये गये। 1857 के विद्रोह में बगावत का लाभ उठाते हुए मराठा सूबेदार एवं बुन्देलखण्ड के नरेश सक्रिय हो उठे। ओरछा की रीजेन्ट महारानी लड़ई सरकार के नेतृत्व में दतिया, समथर, खनियाधाना, अष्टगढ़ी के राजा, पन्ना, छतरपुर, बिजावर, चरखारी, अजयगढ़ सरीला, लुगासी, बेरी, बावनी, वीहट, आलीपुरा, गौरीहार, जसौं, बरौधा स्टेट्स एवं गरौली के नरेश एकाजुट हो गए थे कि गैर क्षेत्रीय मराठा सूबेदार अंग्रेजी सेना की बगावत का लाभ उठाकर बुन्देला भूमि पर पुनः सत्ता स्थापित न कर सकें।[11] 1857 के विद्रोह के उपरांत 1886 में बुन्देलखण्ड की एकता को विखडित करने के उद्देश्य से 1886 में 4 प्रशासनिक परिक्षेत्र में विभक्त कर दिया था–

(1) सागर, दमोह, शाहगढ़ और जबलपुर, कटनी, सेन्ट्रल प्रोविंस में मिला दिये।

(2) झांसी, जालौन, बांदा, हमोरपुर, महोबा, ललितपुर, संयुक्त प्रान्त में मिला दिये गये।

(3) करैरा, पिछोर, मांडेर, लहर तथा शिवपुरी मध्य भारत ग्वालियर में मिला दिये गये।

(4) शेष पहाड़ी, ककरीला, पथरीला ऊंचा–नीचा मध्य भाग स्थानीय राजाओं का था।

उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड में स्थानीय निकायों की स्थापना सबसे पहले ब्रिटिश शासित क्षेत्रों की गई इसके बाद देशी रियासतों में। इनके विकास को ब्रिटिश जिलों के क्रम में देखा जा सकता है–

ललितपुर जिला – ललितपुर जिले का क्षेत्र जिसमें चंदेरी जिले का कुछ भाग, नरहट और शाहगढ़ के राज्य सम्मिलित थे सन् 1860 में अंग्रेजी प्रशासन में आ गये तथा बानपुर और मडावरा नवनिर्मित तहसीलों के मुख्यालय बानपुर और मडावरा गांव में स्थापित कर दिये गये। सन् 1861 में जिले के चंदेरी का एक भाग तहसील बन गया जिसका मुख्यालय ललितपुर हो गया। ललितपुर नगर का सृजन एक नगर पालिका के रूप में वर्ष 1870 में नार्थ वेस्ट प्राविंसेज म्युनिसिपल इम्प्वमेट्स एक्ट, 1868 (एक्ट संख्या 4 1868) के अन्तर्गत हुआ था। इस एक्ट के तहत एक म्युनिसिपल समिति गठित की गई जिसमें 12 सदस्य थे। जिसमें 4 सदस्य सरकारी तथा 8 गैर सरकारी सदस्य होते थे। कालान्तर में ललितपुर नगर को नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज तथा अवध म्युनिसिपल एक्ट 1900 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासित किया जाने लगा। ललितपुर नगर को वर्तमान नगर पालिका के रूप में 1916 में यू. पी. म्युनिसिपल एक्ट, 1916 के अन्तर्गत म्युनिसिपल बोर्ड का दर्जा दिया गया। पुनः यू. पी. म्युनिसिपल एक्ट, 1949

के अनुसार इसे शासित कर बोर्ड क अध्यक्ष का नाम चैयरमैन से बदलकर प्रेसिडेन्ट कर दिया गया।[13] नगर क्षेत्र तालवेहट की स्थापना वर्ष 1913 में टाउन एरिया एक्ट, 1914 के अन्तर्गत हुई। नगर क्षेत्र महरौनी का सृजन वर्ष 1930 में, यू. पी. टाउन एरिया एक्ट 1914 के अन्तर्गत किया गया। नगर क्षेत्र पाली का सृजन वर्ष 1978 में यू. पी. टाउन एरिया एक्ट 1914 के अन्तर्गत किया गया। नये रूप में ललितपुर जिले का सृजन 1 मार्च 1974 को झांसी की दो तहसीलों ललितपुर और महरौनी को मिलाकर किया गया। 1978 में एक नई तहसील तालबेहट का गठन किया गया।

बाँदा जिला– बाँदा नाम की उत्पत्ति बामदेव से मानी जाती है। बाद में खुतला बंदा के नाम पर स्थानीय बोल चाल की भाषा में बाँदा पड़ गया। बांदा की भौगोलिक स्थिति 24^0 53′ उत्तर और 25^0 55′ उत्तर अक्षांश तथा 80^0 07′ पूर्वी तथा 81^0 34′ पूर्वी देशान्तर है। बांदा उत्तर में फतेहपुर, पूर्व में चित्रकूट पश्चिम में महोबा, उत्तर पश्चिम में हमीरपुर तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर, पन्ना तथा सतना जिले लगे हुए हैं।

अकबर के शासन काल में इस जिले को दो सरकारों कालिंजर तथा भाटघोरा इलाहाबाद सूबे में थे। यह क्षेत्र 18वीं सदी में बुन्देलों के आधिपत्य में था। सदी के मध्य में मराठा राज्य क्षेत्र का एक भाग बना लिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1803 की बसीन की संधि में बांदा के नवाब शमशेरबहादुर से प्राप्त कर लिया था।[14] 1857 के विद्रोह के समय बांदा के नवाब ने कंपनी शासन से बगावत कर बांदा परिक्षेत्र पर पुनः अपनी सत्ता पुनस्थापित कर ली थी।[15] बांदा जिले में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पहला विधान उत्तर–पश्चिम प्रान्त तथा अवध स्थानीय कर अधिनियम जो लोकल बोर्ड अधिनियम 1863 के आधार पर लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा जिला तथा तहसील बोर्ड्स की स्थापना की गई। 1883 के उत्तर पश्चिम प्रान्त तथा अवध नगरपालिका अधिनियम द्वारा वृहत् स्वायत्तता तथा वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस अधिनियम के तहत शैक्षिक, स्वास्थ्य, निकासी, रोशनी व्यवस्था लोक स्वास्थ्य तथा बाजारों के नियंत्रण के अधिकार शामिल थे। 1921 के संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम के द्वारा नगर पालिकाओं के हिन्दू मुस्लिम तथा अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1949 के अधिनियम द्वारा मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दो तरह की सीटों सामान्य तथा अनुसूचित जातियों के लिए बांटी गई।[16] बांदा जिला में अतर्रा में 1916 में संयुक्त प्रान्त अधिनियम 1914 के द्वारा टाउन एरिया की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1967 क द्वारा इसे उन्नत कर नगर पालिका कर दिया गया। चित्रकूट में नगर पंचायत की स्थापना 1860 में 1856 के अधिनिमय XX के द्वारा एक संघ तथा तौराहा के रूप में की गई। 1907 में इसे नोटिफाइड एरिया के रूप में परिवर्तित कर दी गई। नरैनी को 1916 में टाउन एरिया की स्थापना यू. पी. टाउन एरिया एक्ट 1914 के द्वारा की गई। बबेरू, मटौंध में टाउन एरिया की स्थापना 1971–72 में की गई। ओरण में नगर पंचायत की स्थापना 1971–72 में की गई।

हमीरपुर जिला– हमीरपुर पहली बार प्रशासन में अधिनियम संख्या XX 1856 के तहत 1871 में आया। 1931 में हमीरपुर को अधिनियम संख्या II के तहत प्रशासन में लाया गया तथा 1935 में टाउन एरिया का स्तर प्रदान किया गया। 1949 में हमीरपुर में यू. पी. म्युनिसिपल एक्ट, 1916 के तहत नगर पालिका के रूप में उन्नत कर दिया गया।[17] हमीरपुर जिले में महोबा नगर में 1871 से 1908 तक 1856 के अधिनियम

द्वारा प्रशासित रहा था। परन्तु 15 अप्रैल, 1908 से इसे 1900 के प्रथम अधिनियम के तहत नोटिफाइड एरिया के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1949 में महोबा को यू. पी. म्युनिसिपल एक्ट, 1916 के द्वारा नगर पालिका कर दिया गया।[18] राठ 1869 से 1908 तक अधिनियम संख्या XX, 1856 के तहत प्रशासित हो रहा था। 1 अप्रैल 1908 से इसे नोटिफाइड एरिया रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1950 में इसे यू. पी. म्युनिसिपल अधिनियम 1916 के तहत नगर पालिका स्थापित की गई। सुमेरपुर पहली बार 1893 के अधि0 संख्या XX के द्वारा प्रशासन में आया। 1 अप्रैल 1920 को यू0 पी0 टाउन एरिया अधिनियम के द्वारा नगर के रूप में विकसित किया गया।[19] चरखारी में नगर पालिका की स्थापना 1946 में चरखारी म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 1938 के तहत की गई थी। खरेला नगर पंचायत को नवगठित महोबा जिले में सम्मिलित किया गया है। खरेला में 1 सितम्बर 1974 को टाउन एरिया के रूप में विकसित किया गया है। सरीला की जैतपुर के राजा पहाड़सिंह ने अपने छोटे पुत्र मानसिंह को सन् 1755 में राज्य की बागडोर सौंपी। 11 गांव की इस जागीर में 1947 में राज्य प्रशासन समाप्त हो गया तथा 1948 में इसका विलय विन्ध्य प्रदेश में हुआ। 25 जनवरी, 1950 तक विन्ध्य प्रदेश में रहे इस राज्य का विलय उत्तर प्रदेश में हो गया।[20] 11 फरवरी, 1995 को हमीरपुर से तीन तहसीलों महोबा, चरखारी तथा कुलपहाड़ को अलग करके महोबा जिले का गठन किया गया। जिले में तीन नगर पंचायतों की स्थापना – कुलपहाड़, खरेला तथा कबरई में गई है।

उ. प्र. के बुन्देलखण्ड में एक नगर निगम झांसी जिले झांसी शहर में ह।

झांसी जिला– झांसी में सर्वप्रथम म्युनिसिपैलिटी का गठन 1867 में 1850 के अधिनियम संख्या XXVI के अन्तर्गत "पर्याप्त पुलिस बल की अपूर्ति तथा बेहतर प्रावधान संरक्षण के उद्देश्यों से की गई थी।" इस विशेष क्षेत्र में सामान्य सुधार के लिए तथा झांसी को एक नागरिक केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 1886 में शहर तथा किला ब्रिटिश के द्वारा नार्थ–वेस्टर्न पोविंसेज तथा अवध म्युनिसिपैलिटी एक्ट 1873 के द्वारा सुपुर्द कर दिया गया। इस अधिनियम को 1900 के नार्थ–वेस्टर्न प्रोविंसेज तथा अवध म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा मजिस्ट्रेट को एक्स–ऑफिसियो चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। स्वतंत्रता के बाद यु• पी• म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, 1949 के द्वारा चेयरमैन का नाम बदल कर प्रेसिडेंट कर दिया गया।[21] मऊरानीपुर में 30 जून 1869 को मऊ और रानीपुर को 1868 के नार्थ–वेस्टर्न प्रोविंसेज तथा अवध म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के द्वारा म्यूनिसिपैलिटी की स्थापना की गई।[22] झांसी जिले में कैण्टोनमेंट एरिया का विकास 1884 में 1864 के कैण्टोनमेंट एक्ट XXII के अन्तर्गत किया गया। बबीना झांसी जिला में बबीना में दूसरे कैण्टोनमेंट एरिया की स्थापना 17 अगस्त, 1959 को की गई थी। जिले में 8 टाउन एरिया बरूआ सागर, चिरगांव, एरिच, मेहरौनी (जो कि अब ललितपुर में है), मोंठ, रानीपुर तथा तालबेहट (अब ललितपुर में है) में प्रशासन युनाइटेड प्रोविंसेज टाउन एरिया एक्ट, 1914 के अन्तर्गत स्थापित किया था। इसके अलावा जिले में दो नोटिफाइड एरिया रेलवे से एरिया – प्रथम झांसी में 1 जनवरी, 1928 को तथा दूसरा समथर में 18 दिसम्बर, 1951 को स्थापित किया गया ।[23]

जालौन जिला में उरई में 1856 के प्रशासन अधिनियम संख्या XX के अन्तर्गत स्थापित किया गया। 1871 में म्यूनिसिपल इम्प्रूवमेंट एक्ट (1868 एक्ट ऑफ vi) के द्वारा विस्तार के चयन के सिद्धान्त को लाया गया तथा ऑक्टोराइ को लेवी के अधिकारों

का प्राधिकार दिया गया। कालपी में म्यूनिसिपैलिटी का गठन 1867 में किया गया। ऑक्टोराइ वहाँ पहली बार प्राधिकार 1886 में दिया गया। कोंच में नगरपालिका का गठन 1867 में किया गया था।[24] इस प्रकार से धीरे–धीरे ब्रिटिश शासित पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थानीय निकायों की स्थाना की गई, आजादी के बाद भारत सरकार ने स्थानीय निकायों के विकास का कार्य जारी रखा।

निष्कर्ष–

1857 के महा–विप्लव के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के बाद जैसे ही शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में आती है तो उसकी नीतियों में तीव्रता से परिवर्तन आने जारी हो जाते हैं। ब्रिटिश शासित क्षेत्र में राजनैतिक नियंत्रण बनायें रखने और भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास बनाये रखने के लिए स्थानीय निकायों को राजनैतिक प्रशिक्षण के रूप में विकसित किया जाता है। लॉर्ड मेयो के द्वारा आरम्भ की गयी वित्तीय विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को रिपन ने कानूनी रूप प्रदान किया। बुन्देलखण्ड में भी स्थानीय निकायों की शुरूआत ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई तथा धीरे–धीरे उनमें गैर–शासकीय व्यक्तियों की भागीदारी को बढ़ाते गये। इन स्थानीय संस्थाओं को अपने क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए प्राधिकार तथा शक्तियाँ प्रदान की गईं। आजादी के बाद भारत सरकार ने स्थानीय निकायों को संवैधानिक रूप प्रदान करते हुए वैधता प्रदान की तथा स्थानीय निकायों को संवैधानिक बना कर स्थानीय विकास को सहभागी लोकतंत्र का रूप प्रदान किया गया।

संदर्भ–

1. चोपड़ा, पुरी आर दास, भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, मैकमिलन, दिल्ली, 1975. पृ. 3.
2. वही, पृ. 4–5.
3. दत्त, रमेश चन्द, भारत का आर्थिक इतिहास, एस. चन्द्र प्रकाशन, दिल्ली, भाग 1, पृ. 120–121.
4. वही, पृ. 139–140.
5. त्रिपाठी, रामप्रसाद, भारतीय शासन विकास, इंडियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद, 1936, पृ. 33.
6. मजूमदार, रायचौधरी और दत्त, भारत का वृहत् इतिहास : आधुनिक भारत, भाग–3, मैकमिलन, दिल्ली, 1994, पृ 227.
7. मिश्रा, महिमा, लार्ड रिपन और स्थानीय स्वशासन, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 1992, पृ. 91.
8. वही, पृ. 12.
9. केला, भगवान दास, भारत के देशी राज्य, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन, 1938, पृ. 7.
10. तिवारी, कपिल, बुन्देली : इतिहास और संस्कृति, आदिवासी लोक कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल, 2005, पृ. 29.
11. वही, पृ. 33.
12. सिंह, वीरेन्द्र, ललितपुर जिला गजेटियर, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, 2000, पृ. 1–2.
13. वही, पृ. 172.
14. दांगली, वरूण प्रसाद, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक गजेटियर, बाँदा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1988, पृ. 1.
15. के. पी. त्रिपाठी, भारतीय शासन विकास, पूर्वोक्त, पृ. 256.
16. बाँदा गजेटियर, पृ. 198.
17. बलवंत सिंह, हमीरपुर गजेटियर, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, 1988, पृ.200.
18. वही, पृ. 202.
19. वही, पृ. 204.
20. पटैरया, शिव अनुराग, बुन्देलखण्ड, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 2017, पृ. 36–37.
21. ईसा, बसंती जोशी, झांसी जिला गजेटियर, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, 1965, पृ. 251.
22. वही पृ. 256.
23. वही, पृ. 258.
24. ड्रैक–ब्रोकमैन, डी. एल., जालौन गजेटियर, डिस्ट्रिक गजेटियर ऑफ दि युनाइटेड प्रोविसेज ऑफ आगरा एण्ड अवध, इलाहाबाद, 1909, पृ. 257.